

कार्यालय — जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा

सूचना/विज्ञापन संख्या — 02/2024

दिनांक — 06.09.2024

130 पारा लीगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण हेतु इच्छूक स्थानीय अभ्यर्थियों से निम्नांकित स्व—हस्तलिखित/टंकित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे विधि पेशेवर की तरह कार्य करें तथा अधिवक्ता पारा लीगल वोलेंटियर के लिए योग्य नहीं हैं।

योग्यता :

- अभ्यर्थी साक्षर हो परन्तु वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मैट्रिक तथा उससे उच्चतर योग्यता रखते हों तथा उनमें समझाने एवं समझाने की क्षमता हो। शिक्षक/सेवा निवृत शिक्षक/सेवा निवृत लोक सेवक/वरिष्ठ नागरिक/एम०एस०डब्ल्यू० छात्र/आंगनबाड़ी सेविका/चिकित्सक/विधि छात्र जो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। गैर—राजनीतिक संगठन/एन०जी०ओ०/क्लब/मार्जिनलाईज्ड ग्रुप के सदस्य/महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य/सजायाफता कैंडी जिनका आचरण अच्छा हो/कोई भी व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार पारा लीगल वोलेंटियर के पद पर सुयोग्य पाए, पारा लीगल वोलेंटियर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- वैसे अभ्यर्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो पारा लीगल वोलेंटियर के कार्य को आर्थिक आय का श्रोत नहीं समझेंगे।

आवेदन कैसे करे :

- आवेदन डाक या हाथो—हाथ दोनों माध्यम से स्वीकार की जाएगी तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पारा लीगल वोलेंटियर के लिए आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए।
- आवेदन स्व—हस्तलिखित या टंकित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।
- अपना दो अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के साथ संलग्न करें।
- आवेदन निम्न पते पर भेजें — अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा।
पिन—822114

आवेदन की अंतिम तिथि — 13.09.2024

आवेदन का प्रारूप

- नाम —
- पिता/पति का नाम —
- जन्मतिथि एवं उम्र (विज्ञापन की तिथि के दिन) —
- लिंग —
- राष्ट्रीयता —
- स्थायी पता —
- पत्राचार का पता (दूरभाष के साथ) —
- ई—मेल —
- शैक्षणिक योग्यता —
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति स्व—अभिप्रमाणित कर अवश्य संलग्न करें।
- विशेष योग्यता —
- कोटि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/सामान्य) —

यहां पर अपना
अद्यतन पासपोर्ट
साईज फोटो
चिपकायें।

नोट : उपरोक्त आवेदन पारा लीगल वोलेंटियर के प्रशिक्षण के लिए है, न कि नियोजन के लिए। पी०एल०वी० के कार्य के लिए कोई वेतन, पारिश्रमिक या मजदूरी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निर्धारित मानदेय के अलावा देय नहीं होगा।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

आदेशानुसार
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा।